Board of Revenue For Rajasthan Ajmer
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर

अपील/डिक्री/टीए/6662/2002/भरतपुर

1– सांवतराम पुत्र डाकरसिंह
2– जगमाल सिंह पुत्र करीमराम
जाति अहीरान निवासीगण ग्राम खोरी, तहसील बहरोड़ स्वंय व बहैसियत नुमाइन्दगान ग्राम वासियान ग्राम खोहरी।

....अपीलार्थीगण

बनाम

1– बाबूलाल) पुत्रान स्व0 दयाकिशन, जाति अहीर,
2– रामवतार) निवासी ग्राम खोहरी, तहसील बहरोड़, जिला
3– प्रभाती) अलवर।
4– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, बहरोड़, जिला अलवर।

....प्रत्यर्थीगण

खण्डपीठ
श्री वी0 श्रीनिवास, अध्यक्ष
श्री श्याम लाल गूर्जर, सदस्य

––

उपस्थितः–
श्री खड़गसिंह, अधिवक्ता अपीलार्थीगण।
श्री जगदम्बा प्रसाद माथुर, अधिवक्ता प्रत्यर्थीगण।

––

निर्णय

दिनांकः25–4–18

यह अपील राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 (संक्षेप में अधिनियम) की धारा 224 के अन्तर्गत राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01–10–2002 के विरूद्ध मण्डल में प्रस्तुत की गई है।

2– द्वितीय अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के पिता स्व0 दयाकिशन ने एक वाद

सहायक कलक्टर, बहरोड़ के न्यायालय में खसरा नं0 226 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा में से 3 बीघा, जिसका हाल खसरा नं0 336 रकबा 1 हैक्टेयर 70 एयर में से 75 एयर वाकै ग्राम खोहरी, तहसील बहरोड़ बाबत् इस कथन के साथ राज्य सरकार के विरूद्ध पेश किया कि विवादित आराजी बिस्वेदारी के समय से उसके कब्जे काश्त की भूमि रही है व आज भी मौके पर उसका कब्जा है। भू प्रबंध विभाग ने विवादित आराजी को गलत तौर पर चरागाह दर्ज कर दिया है जबकि यह भूमि सिवायचक दर्ज होकर सन् 1975 में अन्य व्यक्तियों को आवंटित हो चुकी है किन्तु इन्द्राज दुरूस्त नहीं किया गया। इसलिए इन्द्राज दुरस्त किया जाकर वादी को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित किया जावें व रिकार्ड दुरूस्त किया जावें। विचारण न्यायालय ने वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये नोटिस तलब किया। बाद सुनवाई विचारण न्यायालय ने वाद को अपने निर्णय दिनांक 31–03–2002 द्वारा डिक्री कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर प्रथम अपील राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर के समक्ष पेश की गई, जिसे अपील सं0 134/2001 दर्ज किया गया व इसी निर्णय व डिक्री के विरूद्ध राज्य सरकार द्वारा भी प्रत्यर्थी सं0 1 से 3 के विरूद्ध अपील पेश की गई, जिन्हें अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय व डिक्री दिनांक 01–10–2002 द्वारा खारिज कर दिया। उक्त निर्णय व डिक्री से अप्रसन्न होकर यह द्वितीय अपील मण्डल में पेश की गई है।

3– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस सुनी।

4– योग्य अधिवक्ता अपीलार्थीगण ने द्वितीय अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए तर्क दिया कि विवादित आराजी रेकार्डेड चरागाह भूमि है, जिस तथ्य की पुष्टि स्वंय विपक्षी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख से पूर्णतः होती है तथा ऐसी भूमि पर अधिनियम की धारा 16 के तहत किसी भी व्यक्ति को खातेदारी अधिकार प्रदान नहीं किए जा सकते है। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दू की ओर ध्यान नहीं दिया कि विपक्षी को किस कानून के तहत खातेदारी अधिकार प्रदान हुए। उक्त तथ्य बाबत् कोई विवेचन अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा अपने निर्णयों में नहीं किया गया है व न ही अधीनस्थ न्यायालयों ने इस तथ्य की जांच की कि आराजी मुतनाजा जब करीब 30 वर्षो से चरागाह भूमि दर्ज है तो विपक्षी ने यह वाद 30 वर्ष

बाद पेश किया है। विपक्षी/वादी का कोई कब्जा खसरा नं0 336 पर नहीं है, अतः बिना कब्जे व बिना साक्ष्य के मात्र सरकारी अधिवक्ता की ओर से पेश अनापत्ति जवाबदावे के आधार पर चरागाह भूमि को विपक्षी की खातेदारी में घोषित करने का आदेश प्रदान कर दिया, जिसे उचित व विधिसम्मत नहीं कहा जा सकता। उनका यह भी तर्क था कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस महत्वपूर्ण विधिक बिन्दू पर ध्यान नहीं दिया कि विपक्षी ने किसी साक्ष्य से यह साबित नहीं किया है कि साबिक खसरा नं0 226 रकबा 17 बीघा 16 बिस्वा में से किस 3 बीघा भूमि पर विपक्षी का कब्जा रहा व गत खसरा नं0 226 से नया नंबर 336 बना हो। इस प्रकार कुछ भी साबित नहीं होते हुए भी बिना किसी जांच के विपक्षी को आराजी मुतनाजा का खातेदार घोषित करने में योग्य अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटि की है। उनका तर्क था कि विचारण न्यायालय ने दिनांक 24–04–2001 को वास्ते निर्णय हेतु पत्रावली नियत की थी किन्तु उससे पूर्व ही दिनांक 31–03–2001 को अपना निर्णय पारित कर दिया। उनका तर्क था कि विपक्षी ने कथन किया कि उक्त भूमि में से कई व्यक्तियों को भूमि का नियमन किया गया है किन्तु विपक्षी ने न तो उन व्यक्तियों को दावे में पक्षकार ही बनाया है व दयाकिशन की मृत्यु के पश्चात् भी उनके समस्त वारिसान, जिसमें उसकी बहने व पुत्री है, उन्हें भी पक्षकार नहीं बनाया गया है। अन्त में उन्होंने निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय विधिक स्थिति व तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त किए जाने योग्य है। अतः द्वितीय अपील स्वीकार कर भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01–10–2002 व सहायक कलक्टर, बहरोड़ का निर्णय व डिक्री 31–03–2001 को निरस्त किया जावें तथा विवादित आराजी को चरागाह भूमि दर्ज करने के आदेश प्रदान किए जावें।

5– योग्य अधिवक्ता प्रत्यर्थी ने तर्क दिया कि ग्राम सभा के प्रस्ताव में आराजी चरागाह अंकित नहीं है। उक्त भूमि पर कब्जा हमेशा से दयाकिशन का ही रहा है। वादीगण की ओर से 3 गवाहों के बयान करवाए गए है, जिन्होंने उनका कब्जा होने बाबत् कथन किया है। उन्होंने विवादित भूमि बाबत् दस्तावेजी साक्ष्य भी पेश किए है, जिनसे स्पष्ट है कि वे विवादित भूमि के रेकार्डेड खातेदार रहे है। सांवतराम को अपील पेश करने का अधिकार नहीं है और ना ही वह पीडित पक्षकार

है। बंदोबस्त विभाग को प्रविष्टि बदलने का अधिकार नहीं है। संवत् 2020 में विवादित आराजी को गलत रूप से चरागाह दर्ज कर दिया गया है और सन् 1975 में वापस सिवायचक दर्ज कर दिया गया है जबकि खसरा गिरदावरी संवत् 2032 में अन्य अलोटियों के साथ साथ दयाकिशन का भी नाम दर्ज है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालयों के निर्णय उचित एवं विधिसम्मत है, जिनमें द्वितीय अपील के स्तर पर हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। अतः द्वितीय अपील खारिज की जावें।

6– हमने योग्य अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेख का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया।

7– प्रश्नगत प्रकरण में प्रत्यर्थी/वादी द्वारा विवादित भूमि के संबंध में वाद इस आधार पर पेश किया गया कि वह लम्बे समय से भूमि पर काबिज है और भूमि गलत रूप से चरागाह अंकित की गई है, अतः उसे विवादित भूमि का खातेदार घोषित किया जावें। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि विचारण न्यायालय के समक्ष राज्य के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए जाकर निर्णय पारित किया गया है। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस संबंध में कोई निष्कर्ष अंकित नहीं किया है कि राज्य के विरूद्ध की गई एकतरफा कार्यवाही विधि अनुरूप है अथवा नहीं। हमारी सुविचारित राय में विचारण न्यायालय का निर्णय प्राकृतिक न्याय के सिद्धांत के पूर्णतया विपरीत था किन्तु प्रथम अपीलीय न्यायालय ने इस तथ्य पर ध्यान नहीं देकर स्पष्टतया विधिक त्रुटि की है।

8– जहां तक तथ्यात्मक स्थिति का प्रश्न है अभिलेख पर उपलब्ध खसरा गिरदावरी एवं अन्य प्रदर्शो विशेषतया जमाबंदी संवत् 2015 के कॉलम सं0 5 में प्रत्यर्थीगण के पूर्वाधिकारी की खुदकाश्त अंकित नहीं है। वादी द्वारा यह तथ्य कही स्थापित नहीं किया गया है कि यह भूमि कभी चरागाह नहीं थी और त्रुटिवश इसे चरागाह अंकित किया गया है। इस स्थिति के परिप्रेक्ष्य में यह भूमि राज्य सरकार के परिपत्रों तथा अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किसी भी व्यक्ति की खातेदारी में दिए जाने योग्य नहीं रहती। दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने ग्राम पंचायत के प्रस्ताव एवं वादी के गवाहों द्वारा उसके पुराने कब्जे पर आधारित निर्णय पारित किया है जबकि यह साक्ष्य अथवा प्रस्ताव चरागाह भूमि के संबंध में खातेदारी दिए जाने के अधिनियम के बंधनकारी प्रावधानों को समाप्त नहीं कर सकते। अतः ग्राम पंचायत द्वारा विवादित

भूमि चरागाह नहीं होने के बाबत् कथन स्वीकार्य नहीं होने से निरस्त किए जाने योग्य है।

9– उक्त विवेचन के परिणामस्वरूप हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते है कि दोनों अधीनस्थ न्यायालयों ने विधिक प्रावधानों के विपरीत चरगाह भूमि के संबंध में वादी को राज्य सरकार का पक्ष सुने बिना प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों के विपरीत पारित निर्णय से खातेदारी अधिकार प्रदान करने में विधिक त्रुटि की है।

10– अतः यह द्वितीय अपील स्वीकार की जाकर भू प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, अलवर द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 01–10–2002 व सहायक कलक्टर, बहरोड़ द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31–03–2001 निरस्त किए जाते है तथा आदेश दिए जाते है कि विवादित भूमि को राजस्व अभिलेख में पूर्वानुसार चरागाह अंकित किया जावें।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(श्याम लाल गूर्जर)
सदस्य

(वी0 श्रीनिवास)
अध्यक्ष